

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, पांचवी मंजिल, भोपाल

दिनांक 18/05/2018


क्रमांक 1019/114/आउशि/अनु-ब/18
प्रति,

प्राचार्य,
कस्तूरबा ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट,
कस्तूरबा ग्राम, इन्दौर (म.प्र.)

विषय:- कस्तूरबाग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, इन्दौर में बैकलॉग के पदों पर नियुक्त स्टाफ के
वेतन-भत्तों के आदेश में संशोधन बाबत।

संदर्भ:- आपके पत्र क्रमांक क.रू.ई./2017-18/667 दिनांक 19.01.18 एवं 04.05.18
--00--

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के अनुक्रम में इस कार्यालय द्वारा संस्थान के वेतन-भत्तों के लिए जारी किये जाने वाले आवंटन आदेश की कंडिका क्रमांक-4 में उल्लेखित शर्त कि 'बैकलॉग के तहत नियुक्त किए गए शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक स्टाफ के वेतन हेतु शासकीय अनुदान राशि रूपये 25 लाख तक सीमित है। अतः इन शिक्षकों एवं कर्मचारियों के संबंध में शेष राशि संस्थान अपने स्रोत से वहन किया जाना सुनिश्चित करें' को पूर्ण परीक्षणोपरांत विलोपित किया जाता है तथा संस्थान के बजट प्रावधान अंतर्गत राशि आवंटित की जावेगी।
आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित।



(डॉ. सुषमा दुबे)

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

दिनांक 18/05/2018

पृ.क्रमांक: 1020/114/आउशि/अनु-ब/18
प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी, उच्च शिक्षा की ओर अवगतार्थ।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), म.प्र. ग्वालियर।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इन्दौर संभाग, इन्दौर।
6. आहरण संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.कोड 0523802008) कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल।
7. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन, कोषालय, भोपाल
..... की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(डॉ. सुषमा दुबे)
अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश